संख्या–961 / XXIV(8) / 2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांक 20 फरवरी,2006

विषयः– **राजकीय पालीटेक्निक देहरादून के आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2167 / नि0प्रा0शि0उ0 / प्लान–छै–1 / 2005–06 दिनांक 5.10.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय पालीटैक्निक देहरादून के आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, देहरादून इकाई देहरादून ारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रारम्भिक आंगणन के सापेक्ष रू0 699.00 लाख (रूपये छः करोड़ निन्यानब्बे लाख मात्र) के आंगणन पर प्रशासिनक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

उल्लेखनीय है कि राजकीय पाली0 देहरादून आवासीय एवं अनावारीय भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम देहरादून इकाई देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या– 37 / प्रा0शि0 / 2004 दिनांक 27.3.2004 द्वारा रू0 359.12 लाख के आंगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत आंगणन रू0 359.12 लाख के सापेक्ष अभी तक कुल रू0 272.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। लेकिन उक्त आंगणन में कुछ अति आवश्यक कार्य छूट गये थे, जिसके कारण इस प्रथम संशोधित आंगणन की आवश्यकता हुई।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7— कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10— क्षेत्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पालीटैक्निक भवन के डिजायन को Standardized किया जाय और भूकम्प रोधी तकनीक अवश्य प्रयोग की जाय।

11— इस संबंध में होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक— 4202— शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय— 02— तकनीकी शिक्षा— आयोजनागत — 104— बहुशिल्प — 03 — राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष / महिला) भवन का निर्माण / सुदृढ़ीकरण — 24— वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–170 / वित्त अनुभाग–3 / 2006 दिनांक 13.2.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, पौडी।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
7. परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।